

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / / 2026

विषय : डा० सीमा सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986, पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार पटना के पत्रांक-LR: 031120250200749, LR No. 0375/2025-2026 के आलोक में डा० सीमा सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० सीमा सिन्हा की सेवानिवृत्ति की तिथि-31.10.2025 है।

(3) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० सीमा सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

पत्रांक-2/पेन-92/2025-

810(2)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० सीमा सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना का पत्राचार पता-मकान नं०-49, खादी ग्रामोद्योग के निकट कॉंग्रेस मैदान, पो०+थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना (बिहार), पिनकोड-800003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, 09 (ए एवं बी) एवं 18ए को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wamk151426
सरकार के उप सचिव।